अनुसूची-१४ -फारम सं० ५६२

# आदेश-पत्रक

( देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

## न्यायालय जिला दण्डाधिकारी-सह-समाहर्ता,सारण,छपरा।

आपूर्ति अपील सं०- 118/2011

हरेन्द्र सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा,सोनपुर,सारण)

| आदेश का क्रम-संख्या और तारीख। | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर। | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित |
|---|---|---|
| 3.08.2015 | यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी,सोनपुर,सारण के ज्ञापांक 1045 आ०, दिनांक 22.11.2011 के विरूद्ध दाखिल है।<br>उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि जिला स्तरीय जांच दल के द्वारा दरियापुर प्रखंड के सभी पंचायतों की ज०वि०प्र०वि० दूकानों की जांच की गई। हरेन्द्र सिंह ,ज०वि०प्र०वि०, पंचायत-अकबरपुर, प्रखंड- दरियापुर की दूकान की जांच की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई-<br>1. ससमय राशन किरासन वितरण नहीं किया जाता है।<br>2. अत्यधिक किमत लिया जाता है।<br>उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर, सारण के ज्ञापांक 940 आ०, दिनांक 11.11.2011 के द्वारा विकेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विकेता के द्वारा अपना जवाब दिया गया। प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विकेता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।<br>अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विकेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में कूपन के आधार पर निगरानी समिति के सदस्यों के समक्ष अनुदानित सामग्री का उपभोक्ताओं के बीच वितरण किया जाता है। उसके विरूद्ध ग्रामीण राजनीति की वजह से कुछ लोगों के द्वारा दुर्भावना से प्रेरित होकर शिकायत की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।<br>विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विकेता के विरूद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा की गई शिकायतों से प्रतीत होता है कि विकेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के प्रतिकूल आचरण करके गंभीर अनियमितताएं बरती गई है, जिसके लिए उनका अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाना उचित होगा। | |

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 1045, दिनांक 22.11.2011) अपने आप में एक मुखर आदेश नहीं हैं। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने कारण पृच्छा में आक्षेप लगाने वाले उपभोक्ताओं के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। न ही, बयान की प्रति ही उपलब्ध कराई गयी है। इस तरह, अनुज्ञापन पदाधिकारी का कारण पृच्छा अपने आप में अस्पष्ट एवं अपूर्ण हो जाता है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को Set aside करते हुए इस निर्देश के साथ अभिलेख को Remand किया जाता है कि विकेता को उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान की प्रति उपलब्ध कराते हुए पुनः सभी प्रासंगिक बिन्दुओ पर विकेता से कारण पृच्छा किया जाए, उन्हे सुनवाई का एक मौका दिया जाए, एवं प्राप्त जवाब के आलोक में अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर एक विधिसम्मत मुखर आदेश पारित करना सुनिश्चित किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

22/8/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

22/8/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

ज्ञापांक 31/मुल/न्या0, दिनांक 22/8/15

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर,सारण को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
22/8/15